

प्रेस नोट दिनांक 19.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक- 19.04.2026

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता, महेन्द्र सरोज व रेखा को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत नहसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बाबूपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ की बहन की शादी वर्ष 2020 में महेन्द्र सरोज निवासी ग्राम सिंगाही के साथ हुई थी, जहां विवाह के उपरांत पति व ससुराल पक्ष द्वारा ₹2 लाख दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 17.04.2026 को सूचना मिलने पर वादी मौके पर पहुंचा, जहां उसकी बहन घर के अंदर बेड पर मृत अवस्था में पाई गई। वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी बहन की हत्या उसके पति महेन्द्र सरोज, सास रेखा तथा अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा मिलकर की गई है। इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 145/2026 धारा 85/80(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम- 1961 बनाम 08 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह कां0 पंकज यादव व म0कां0 प्रियंका कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत मु0अ0सं0 145/2026 धारा 85/80(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम- 1961 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. महेन्द्र सरोज पुत्र स्व0 मानिकचन्द्र निवासी ग्राम सिंगाही थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष, 2. रेखा पत्नी स्व0 मानिकचन्द्र निवासिनी ग्राम सिंगाही थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत नहसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. महेन्द्र सरोज पुत्र स्व० मानिकचन्द्र निवासी ग्राम सिंगाही थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष ।
2. रेखा पत्नी स्व० मानिकचन्द्र निवासिनी ग्राम सिंगाही थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सन्तोष कुमार यादव मय हमराह कां० पंकज यादव व म०कां० प्रियंका कुशवाहा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 19.04.2026

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे के आईटीडी प्लान्ट, आजाद नगर के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ०नि० अजय कुमार मय हमराह का० अश्वनी खरवार व का० प्रेमवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/ 64(1) बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो० फरीद पुत्र मो० मजीद उर्फ चाँद मियाँ निवासी ग्राम राय असकरनपुर रुमतीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे के आईटीडी प्लान्ट, आजाद नगर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मो० फरीद पुत्र मो० मजीद उर्फ चाँद मियाँ निवासी ग्राम राय असकरनपुर रुमतीपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अजय कुमार मय हमराह का० अश्वनी खरवार व का० प्रेमवीर सिंह थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 19.04.2026

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: जल जीवन मिशन की पाइप चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन व चोरी का कुल 210 मीटर पाइप जल जीवन मिशन माल बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान: थाना अंतू पुलिस ने पाइप चोरी के अभियुक्त विधि ओम सिंह को किया गिरफ्तार, कुल 210 मीटर पाइप जल जीवन मिशन माल के साथ घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन सीज

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 17.03.2026 अज्ञात चोर द्वारा वादी ग्राम अहिरी फिरोजपुर थाना अखंडनगर सुल्तानपुर की जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन ग्राम सभा कोलबजरडीह में कार्य के दौरान पाइप का एक बंडल 90mm 250 मीटर चुरा लिया गया । इस संबंध में थाना अंतू में मु०अ०सं०- 87/2026 धारा-303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह उ०नि० रामकृष्णवर्मा, उ०नि० सुरेश कुमार, हे०का० उदय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना परमु०अ०सं०- 87/2026 धारा-303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त विधि ओम सिंह पुत्र नारेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी विवियापुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 02 टुकड़ों में क्रमशः 165 मी० व 45 मी० पाइप जल जीवन मिशन व घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी के साथ थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत अठगवां ग्राम जाने वाली रास्ते में पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से हुई उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UP72T 2029 को बरामद कर धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत विधिवत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विधि ओम सिंह पुत्र नारेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी विवियापुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

02 टुकड़ों में क्रमशः 165 मी० व 45 मी० पाइप जल जीवन मिशन व घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी यूपी 72 टी 2029 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह उ०नि० रामकृष्णवर्मा, उ०नि० सुरेश कुमरा, हे०का० उदय कुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.04.2026

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म करने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त विकास बिन्द को गिरफ्तार किया गया-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड यादव पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अमरनाथ सिंह मय हमराह का० संदीप पटेल व म०का० सबनम चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 87/137 (2)/64 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त विकास बिन्द पुत्र रामदुलार बिन्द उम्र करीब 19 वर्ष नि० ग्राम

थानीपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही (उ०प्र०) को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड यादव पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास बिन्द पुत्र रामदुलार बिन्द उम्र करीब 19 वर्ष नि० ग्राम थानीपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही (उ०प्र०)।

पुलिस टीम-

उ०नि० अमरनाथ सिंह मय हमराह का० संदीप पटेल व म०का० सबनम चौहान थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 19.04.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को कुल 15 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ०नि० गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह उ०नि० दुर्गेश सिंह महिला आरक्षी रश्मि सोनकर, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, का० रंजीत प्रजापति मय चालक का० हरेन्द्र सिंह द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुलाम का पुरवा मजरे जमेठी में अभियुक्ता के घर के पास से 01 अभियुक्ता संगीता सरोज पत्नी राम सरोज उर्फ चुल्ली सरोज निवासी ग्राम गुलाम का पुरवा मजरे जमेठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को कुल 15 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु०अ०सं० 118/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-

कुल 15 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह उ०नि० दुर्गेश सिंह महिला आरक्षी रश्मि सोनकर, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, का० रंजीत प्रजापति मय चालक का० हरेन्द्र सिंह द्वारा थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।